

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग।

आदेश

बिहार मानवाधिकार आयोग के साथ निकटतम समन्वय एवं सम्पर्क स्थापित करने, आयोग से प्राप्त सभी निदेशों एवं पत्रों के त्वरित निष्पादन एवं आम तौर पर मानवाधिकार संरक्षण संबंधी सभी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना में एक वरीय पदाधिकारी को मानवाधिकार संरक्षण हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में मनोनीत करना आवश्यक है।

2. अतः बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम-788 में निहित निदेश के आलोक में श्री उमाकान्त शरण, उप महानिरीक्षक (प्र०), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना को मानवाधिकार संरक्षण हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में अगले आदेश तक मनोनीत किया जाता है।

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/०६(बि०मा०आ०)-०५/२०१५-BXR..... दिनांक, पटना.....2015.
प्रतिलिपि-बिहार मानवाधिकार आयोग को BHRC/स्था०-१५/२०१३/३४६७, दिनांक-१०.०३.१५
के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/०६(बि०मा०आ०)-०५/२०१५-BXR.....२१६१..... दिनांक, पटना.....६-५-१५.....2015.
प्रतिलिपि-महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना का गोपनीय कोषांग/
श्री उमाकान्त शरण, उप महानिरीक्षक (प्र०), कारा एवं सुधार सेवाएँ, निरीक्षणालय, बिहार,
पटना/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन
बिहार, पटना।